THE PROCESS OF

Filing for compensation

IN CASE OF MINOR INJURY TO HUMAN DUE TO ATTACK BY WILD ANIMAL

1

- Victim's family to report the incident to the forest department
- Apply for compensation within 30 days of the incident

2

- Obtain a certificate stating details and reasons of injury from the medical officer of government/ government recognized institution

3

- Obtain a prescription slip and verification of actual medical bills from Medical officer

4

Submit the following-

- **original medical certificate**,
- **original prescription slips,**
- **original verified bills,**
- **application***
  to the Forest Department

5

- Keep a copy of all submitted documents as proof

Relief in case of simple injury as per actual medical bill upto Rs.15,000/- maximum

Who can provide the medical certificate?

- Health Centers (PHC, CHC, SC)
- Civil/ General hospitals
- Medical college hospitals
- District / Sub-district hospitals
- Women's hospitals

***For application and other information contact - +91 76500 02777**

nature conservation foundation

वन विभाग से

राहत पाने संबंधी कदम

यदि किसी जंगली जानवर द्वारा किसी व्यक्ति पर हुए हमले में उसे मामूली चोट आती है

1

- इस घटना के बारे में 7 दिन के अंदर वन विभाग को सूचित करना चाहिए।
- वन विभाग को 30 दिन के अंदर आवेदन पत्र* दिया जाना चाहिए।

2

- चोट के विवरणों और कारणों के बारे में बताते, किसी सरकारी संस्थान या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मैडिकल संस्थानों के मैडिकल अधिकारी का प्रमाण पत्र / रिपोर्ट ली जानी चाहिए।

3

- मेडिकल अधिकारी से प्रेस्क्रिप्शन स्लिप लें और वास्तविक इलाज के खर्च की पुष्टि करवाएं। वास्तविक खर्च की पुष्टि मेडिकल बिल पर अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर से हो सकती है

4

निम्नलिखित दस्तावेज़ वन विभाग में जमा करें -

- मूल मेडिकल सर्टिफिकेट
- मूल प्रेस्क्रिप्शन स्लिप
- मूल सत्यापित बिल
- आवेदन *

5

- सभी दस्तावेजों की प्रति, जमा कराने के सबूत के रेकॉर्ड के रूप में अपने पास रखनी चाहिए।

कसी व्यक्ति की मामूली चोट लगने पर वास्तविक मैडिकल बिल की अधिकतम राशि Rs.15,000/-

मेडिकल सर्टिफिकेट कौन प्रदान कर सकता है?

- सार्वजनिक, सामुदायिक, उप स्वास्थ्य केन्द्र (PHC, CHC, SC)
- सिविल, जनरल, सामान्य हस्पताल
- मैडिकल कॉलेज हस्पताल
- जिला हस्पताल
- उप-जिला हस्पताल
- महिला हस्पताल

***आवेदन संबंधी एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे- +91 76500 02777**

nature conservation foundation